



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 725) पटना, शुक्रवार, 3 जुलाई 2026

सं० प्र०-I-रा०(आ०)-03/2026—4071
खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

30 जून 2026

विभागीय आदेश ज्ञापांक 1635 दिनांक 27.02.2026 के आलोक में जाँच दल के सदस्यों द्वारा 03 धावा दल का गठन कर दिनांक 28.02.2026 को किशनगंज जिलान्तर्गत बालू/मिट्टी के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की जाँच की गई।

जांच के क्रम में अवैध खनन करते हुए कई वाहनों को पकड़ा गया। इस संबंध में जुर्माना के रूप में 118.85 लाख रुपये एवं बालूघाट पर पाये गये अनियमितता के संबंध में संबंधित बालू बंदोबस्तधारी पर 25.81 लाख रुपया जुर्माना अधिरोपित किया गया है। बालूघाट पर पाये गये अनियमितता के आलोक में किशनगंज जिलान्तर्गत संचालित बालूघाटों की जाँच Satellite Imagery में बालूघाटों के निर्धारित पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र के बाहर खनन प्रदर्शित पाये जाने के मामले की जाँच एवं कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन पत्रांक 2095 दिनांक 21.03.2026 से समर्पित करने का निदेश दिया गया, जिसका अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या-20/2026 दिनांक 10.02.2026 में दिनांक 17.02.2026 को घूस लेते हुए रंगे हाथों जिला खनन कार्यालय, किशनगंज के लिपिक एवं कार्यालय परिचारी को गिरफ्तार किया गया। प्रासंगिक मामले की जाँच विभागीय जाँच दल द्वारा करायी गयी, जिसमें पाया गया कि ट्रैक्टर संख्या-BR37GA-9161 के साथ-साथ कुल 271 जप्त वाहनों में से 46 वाहनों का ससमय राज्यसात हेतु प्रतिवेदन समाहर्ता, किशनगंज को नहीं भेजा गया, जो बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-56(3) में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। उनके अधीनस्थ कर्मियों के

भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने एवं घूस लेते रंगे हाथ पकड़ाये जाने से स्पष्ट है कि उनका अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण नहीं है।

श्री प्रणव कुमार प्रभाकर, खनिज विकास पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बालू/मिट्टी के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने, भ्रष्टाचार में संलिप्त अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण नहीं रखने संबंधी कार्य में कर्तव्यहीनता एवं शिथिलता पायी गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रभाकर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के प्रभाव से विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3135 दिनांक 13.05.2026 से निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में श्री प्रभाकर का मुख्यालय अंचल कार्यालय, भागलपुर निर्धारित किया गया। वर्तमान में श्री प्रभाकर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है।

श्री प्रभाकर द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोपों के संदर्भ में कंडिकावार विभागीय निदेश का अनुपालन करने तथा उनके द्वारा खनिज विकास पदाधिकारी, किशनगंज के रूप में किये गये कार्यों तथा उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए साक्ष्य सहित दिये गये प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार श्री प्रणव कुमार प्रभाकर, खनिज विकास पदाधिकारी, किशनगंज सम्प्रति निलंबित मुख्यालय अंचल कार्यालय, भागलपुर को निलंबन मुक्त किये जाने से संबंधित लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(6) में निहित प्रावधानों के तहत श्री प्रणव कुमार प्रभाकर, खनिज विकास पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है तथा निलंबन इनका पदस्थापन खान एवं भूतत्व (मु0) में तत्काल प्रभाव से किया जाता है। श्री प्रभाकर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहेगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय, तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 725-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>